



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

विज्ञापन संख्या 01/ग्रेड ए/2022-23

ग्रेड 'ए' में अधिकारियों की भर्ती - जनरल स्टीम: 2022

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में जनरल स्टीम में ग्रेड 'ए' में सहायक प्रबंधक के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे इस आवेदन में निहित सभी निर्देशों और इस विज्ञापन में दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यान से देखने के बाद [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) में सिडबी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। कोई अन्य साधन / आवेदन का तरीका / प्रिंटाउट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ / समय सीमा	
ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारम्भ / शुल्क का भुगतान	14 दिसंबर, 2022
ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि / शुल्क का भुगतान	03 जनवरी, 2023
पात्रता मानदंड के अनुसार आयु के संबंध में पात्रता के निर्धारण की अंतिम तिथि	14 दिसंबर, 2022
पात्रता मानदंड के अनुसार शैक्षिक अर्हता संबंधी पात्रता मानदंड के निर्धारण की अंतिम तिथि	03 जनवरी, 2023
ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि	जनवरी/ फरवरी, 2023
साक्षात्कार का संभावित कार्यक्रम	फरवरी, 2023

सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए संसद के अधिनियम के तहत स्थापित प्रमुख वित्तीय संस्थान है। एमएसएमई क्षेत्र, जो सिडबी के लिए केंद्रित व्यापार डोमेन है, पिछले साढ़े सात दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में रचनात्मकता, नवाचार और गतिशीलता में योगदान दिया है, जिसके फलस्वरूप देश भर में औद्योगिक विकास का विस्तार हुआ है।

सिडबी का मिशन एमएसएमई को ऋण प्रवाह को सुविधाजनक और मजबूत करना और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय और विकासात्मक दोनों अंतरालों को दूर करना है। सिडबी एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक एकल खिड़की के रूप में उभरने के विजन के साथ काम कर रहा है ताकि इसे मजबूत, जीवंत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, सिडबी की छवि को पसंदीदा ग्राहक अनुकूल संस्था के रूप में स्थापित किया जा सके और आधुनिक प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से शेरधारकों की संपत्ति और उच्चतम कॉर्पोरेट मूल्यों को बढ़ाया जा सके।

इसे प्राप्त करने के लिए, सिडबी अप्रत्यक्ष ऋण के लिए बैंकों, एसएफबी, एनबीएफसी, एमएफआई और न्यू एज फिनटेक के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी करता है, जो एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में गुणक प्रभाव / बड़ी पहुंच पर ध्यान केंद्रित करता है। सिडबी भी प्रत्यक्ष उधार के माध्यम से औद्योगिक समूहों में रणनीतिक हस्तक्षेप करता है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में वर्तमान ऋण अंतराल को पाटने के उद्देश्य से प्रदर्शनीय और रचनात्मक ऋण उत्पादों का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें क्रेडिट डिलीवरी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

सिडबी अपनी फंड ऑफ फंड्स पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स की मदद करके भारत में उद्यमशीलता संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, सिडबी उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है और क्रेडिट-प्लस पहलों के माध्यम से

एमएसएमई क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए नवजात उद्यमों की सहायता कर रहा है, जो सरकार की एमएसएमई-उन्मुख योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी जैसी क्षमताओं में एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है।

इस प्रक्रिया में, सिडबी ने एमएसएमई और स्टार्टअप / वेंचर कैपिटल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रों में कई पाथब्रेकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया है और आगे भी निर्माण करने में संलग्न है, जिसमें व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय से लेकर ग्राहक मॉडल तक शामिल हैं; जिसमें ओपन क्रेडिट एनबेलमेंट नेटवर्क(ओसीईएन) और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का उपयोग करके शून्य टच इनवॉइस-आधारित उधार देने वाले प्लेटफॉर्म आदि शामिल हैं।

सिडबी समान अवसर नियोक्ता है और बैंक का विश्वास है कि इसके लोग, प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने वाले प्रमुख संचालक हैं। सिडबी का दृढ़ मत है कि इसका मानव संसाधन इसकी सर्वाधिक मूल्यवान आस्ति है। तदनुसार, सिडबी की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए बैंक गतिशील और महत्वाकांक्षी युवाओं की तलाश कर रहा है और निम्नलिखित पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है-

### 1. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण का विवरण

पद का नाम वेतनमान ('में) न्यूनतम सकल परिलब्धियाँ(प्र.मा)	रिक्तियों की कुल संख्या	निम्न के लिए आरक्षित रिक्तियाँ				अनारक्षित	कुल	जिन मेंसे दिव्याङ्ग जन के लिए आरक्षित			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			श्र बा	ओसी ईएन	दृष्टिबाधित	विविध विकलांगता /बौद्धिक विकलांगता
सहायक प्रबन्धक ग्रेड "ए" जनरल स्ट्रीम 28150 - 1550 (4) - 34350 - 1750 (7) - 46600 -EB - 1750 (4) - 53600 - 2000 (1) - 55600 (17 वर्ष) - 70,000 / लगभग।#	100	12	9	28	10	41	100	1	1	1	1

\* पी डब्ल्यू बी डी - विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुरूप बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (i) श्र बा - श्रवण बाधित व्यक्तियों; (ii) ओसी - आर्थोपेडिक रूप से चुनौती वाले ; (iii) वी आई - दृष्टिबाधित; (iv) एम डी - विविध विकलांगता; (v) आईडी - बौद्धिक विकलांगता।

# - वर्तमान में, उपरोक्त वेतनमान संशोधन के अधीन है

- (i) ऊपर उल्लिखित पदनाम / पद का नाम / केवल निर्देशात्मक है। सिडबी को किसी भी समय बिना किसी सूचना के पद के पदनाम /पद के नाम को बदलने का अधिकार है।
- (ii) सिडबी को अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाने और वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार है। प्रस्ताव/नियुक्ति पत्र सिडबी की आवश्यकता के अनुसार चरणों में जारी किए जा सकते हैं।
- (iii) उपर्युक्त अनारक्षित एवं आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों की कुल संख्या, अनंतिम हैं और सिडबी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए रिक्तियों में संबंधित वर्ग की पिछली रिक्तियाँ और कमी वाली रिक्तियाँ शामिल हैं। ऊपर इंगित आरक्षित रिक्तियों की सटीक संख्या जारी किए गए प्रस्ताव / नियुक्ति पत्रों की वास्तविक संख्या / वास्तव में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है।
- (iv) 'अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी ऑनलाइन' पंजीकरण की अंतिम तिथि पर संपन्न वर्ग ('क्रीमी लेयर') में आते हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग का माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के तहत आवेदन करें।

- (v) आरक्षण का लाभ उठाने के लिए निशक्तता की परिभाषाएं और विकलांगता की डिग्री भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी। अभ्यर्थी इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- (vi) यह स्पष्ट किया जाता है कि सिडबी के सभी कार्यालयों / विभागों में विकलांग अभ्यर्थियों को नियुक्त करना संभव नहीं हो सकता है और उन्हें इस संबंध में सिडबी द्वारा निर्धारित पोस्ट / केंद्रों में काम करना होगा।
- (vii) यदि किसी निर्दिष्ट श्रेणी के उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं हैं तो सिडबी एमडी / आईडी अभ्यर्थियों के बीच आरक्षण के परस्पर अदला-बदली की अनुमति दे सकता है।
- (viii) उपरोक्त पद सिडबी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी खुला है। सिडबी उन्हें ऊपरी आयु सीमा, आवेदन शुल्क आदि में उपयुक्त छूट/रियायतें देने का अधिकार रखता है जैसा कि सिडबी द्वारा उचित समझा जाता है।

## 2. जॉब प्रोफाइल/सेवा शर्तें/कैरियर संभावनाएं आदि:

- (i) **जॉब प्रोफाइल:** ग्रेड 'ए' में अधिकारियों से बैंक के विभिन्न परिचालनों के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान करने की उम्मीद की जाती है-
  - (क) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ऋण सुपुर्दगी और निगरानी तंत्र के माध्यम से एमएसएमई, माइक्रोफाइनेंस, स्टार्टअप/वेंचर कैपिटल सेक्टर में ऋण पहुंच को बढ़ाना।
  - (ख) एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक के संवर्धन और विकास गतिविधियों में योगदान देना, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाना शामिल है।
  - (ग) बिजनेस एनालिटिक्स में प्रमुख इनपुट प्रदाता होने और नियमित बाजार प्रतिक्रिया / अनुसंधान एकाग्र करके निर्णय लेने की प्रक्रिया और विभिन्न नई पहलों और परियोजनाओं की प्राथमिकता में बैंक की सहायता करने के लिए अपने क्षेत्रों / समूहों में रुझानों के साथ प्रबंधन को अद्यतन करना।
  - (घ) आंतरिक प्रबंधन / प्रशासन, नियंत्रण और निगरानी से संबंधित कार्यों में भाग लेना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक एमएसएमई क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था की बदलती गतिशीलता के बीच एक अनुकूलनीय और उत्तरदायी संगठन बना रहे।
  - (ङ) बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
- (ii) वर्तमान में, सकल परिलब्धियों में महंगाई भत्ता, ग्रेड भत्ता, विशेष भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को "परिभाषित योगदान नई पेंशन योजना (एनपीएस)" द्वारा अभिशासित किया जाएगा।
- (iii) ऊपर दिए गए वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के अलावा, ऊपर दर्शाए गए पदों में ग्रेच्युटी, छुट्टी किराया रियायत (स्वयं, पति या पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए दो साल में एक बार), चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, वाहन रखरखाव व्यय / भत्ता, लाउंज खर्च, टेली फोन खर्च, समाचार पत्र, पुस्तक अनुदान, शिक्षा व्यय, निवास प्रस्तुत करने के लिए भत्ता, एक महीने की सकल परिलब्धियों तक ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम जैसी अन्य सुविधाएं होंगी। सिडबी के नियमों के अनुसार, सिडबी के आवास या उसके बदले पट्टे पर दी गई फ्लैट सुविधा, कार, आवास, यात्रा, व्यक्तिगत कंप्यूटर/टैबलेट आदि के लिए रियायती दरों पर ऋण और अग्रिम उपलब्ध होगा। तैनाती के स्थान के आधार पर राशि भिन्न हो सकती है।
- (iv) सिडबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, (सिडबी में शामिल होने से पहले) ही जेएआईबी / सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस संबंध में सिडबी की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति के अध्वधीन वेतनमान में एक/दो अग्रिम वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे।
- (v) सिडबी, अपने विवेक पर, अच्छी शैक्षणिक योग्यता या विशेष अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को जिसमें उन्हें पद की पेशकश की गई है उक्त वेतनमान में 4 से अधिक अग्रिम वेतन वृद्धि (जेएआईआईबी / सीएआईआईबी वेतन वृद्धि सहित) नहीं दे सकता है। हालांकि, ऐसे अनुरोधों की सिडबी द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर जांच तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी ने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया हो और सिडबी द्वारा आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया हो। ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धियां मंजूर करने की या न करने और साथ ही ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धियां मंजूर करने की तिथि का सिडबी का निर्णय अंतिम होगा और

अभ्यर्थियों को बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (vi) **परिवीक्षा और तैनाती / स्थानांतरण** - चयनित अभ्यर्थी 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे जो सिडबी के विवेक पर अधिकतम 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को सिडबी के विवेक पर सिडबी के विभिन्न कार्यालयों / उद्भागों / सहयोगी / सहायक कंपनियों को समय-समय पर और ऐसे नियमों और शर्तों पर तैनात/ स्थानांतरित किया जाएगा जो सिडबी द्वारा तय किए जा सकते हैं।

### 3. **आरक्षण / छूट / रियायतें**

- i. भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को आरक्षण/छूट/रियायतें दी जाएंगी।

#### ii. **बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण (PwBD)**

"विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। इस पद को विकलांगों की श्रेणियों के तहत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त के रूप में पहचाना जाता है जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित किया गया है और समय-समय पर विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

#### (क) **ऑर्थोपेडिक रूप से चुनौती वाले वर्ग:**

"ओसी" वर्ग: सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग ठीक, बौनापन, मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के दुःख के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं के प्रवृत्ति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में एक व्यक्ति की असमर्थता। ऑर्थोपेडिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंचमार्क के साथ लोकोमोटर विकलांगता के तहत कवर किया जाता है:

(क) ओए - एक भुजा प्रभावित (दाहिनी या बाईं)

(ख) एक पैर प्रभावित (दाहिनी या बाईं)

(ग) ओ ए एल - एक भुजा और एक पैर प्रभावित

(घ) बीएल - दोनों पैर प्रभावित लेकिन भुजा नहीं

ओए और ओएएल श्रेणी वाले व्यक्तियों के पास सामान्य द्विपक्षीय हाथ से कार्य किया जाना चाहिए।

(i) "कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन निम्न से पीड़ित है:

(क) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना और पैरेसिस की हानि लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं;

(ख) प्रकट विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना ताकि वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकें;

(ग) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ अग्रिम आयु जो उसे कोई भी लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोगमुक्त" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

- (ii) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;"

- (iii) "बौनापन" का अर्थ एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम की वयस्क ऊंचाई होती है;"

- (iv) "मस्कुलर डिस्ट्रोफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और कई डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीवन में गलत और अनुपलब्ध जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष

और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है

- (v) एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।"

**(ख) दृष्टिबाधिता ("VI" श्रेणी): केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से पीड़ित हैं, सर्वोत्तम सुधार के बाद, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।**

(i) अंधापन:

(क) पूर्ण दृष्टिबाधिता : या

(ख) सर्वोत्तम सुधारात्मक लेंस से भी बेहतर आख की दृष्टिक्षमता 3/60 से कम अथवा 10/200 (स्त्रेलेन) से कम न हो; अथवा

(ग) दृष्टि -क्षेत्र की बाधिता 10 डिग्री या उससे भी कम सबटेंडिंग कोण वाली या

(ii) अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति :

(क) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्त्रेलेन) तक बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या

(ख) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाना

**(ग) श्रवण बाधित ("HI" वर्ग):**

(i) **बधिर** : इसका अर्थ है कि दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 डीबी सुनवाई हानि वाले व्यक्ति।

(ii) **श्रवण बाधिता** का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी सुनवाई हानि वाले व्यक्ति।

(घ) **"आईडी" श्रेणी:** केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रकार की विकलांगताओं में से किसी एक से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

(i) **बौद्धिक विकलांगता:**

(क) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) का अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित करने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

(ख) "मानसिक बीमारी" (एमआई) का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक पर्याप्त विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अधूरे विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की आसामान्यता है।

**(ड) "एकाधिक विकलांगता"** का अर्थ है खंड "ए", "बी", "सी", "डी (आई)" के बीच की कई विकलांगताएं।

**नोट:** केवल बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क विकलांगता" का अर्थ एक निर्दिष्ट विकलांगता के 40% से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले वे व्यक्ति शामिल हैं, जहां विकलांगता को मापने योग्य अवधि में परिभाषित किया गया है, और प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है।

- ✓ एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन/पुनः सत्यापन के अध्वधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।
- ✓ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

अधिनियम, 2016" में निर्धारित और सिडबी द्वारा तय किए गए अनुसार होगा।

- ✓ पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में हाल ही का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी एक मेडिकल बोर्ड होगा जिसका विधिवत गठन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों से मिलकर मेडिकल बोर्ड (बोर्डों) का गठन कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक लोकोमोटर / सेरेब्रल / दृश्य / श्रवण विकलांगता या किसी अन्य विकलांगता का आकलन करने के लिए विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। इस तरह के लाभों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय / प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपने दावे के समर्थन में मूल रूप से प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विज्ञापन के अंत में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले जारी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। पीडबल्यूबीडी के लिए आरक्षण को समवर्ती आरक्षण कहा जाता है और इन्हें प्रासंगिक आरक्षण रोजर में आने वालों की संख्या के प्रति समायोजित किया जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप सिडबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

### एक लेखक का उपयोग करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

(क) दृष्टिबाधित उम्मीदवार और उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपने खर्च पर नीचे (ii) की सीमा के अधीन अपने लेखक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां एक लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

क. अभ्यर्थी को अपने स्वयं के खर्च पर अपने स्वयं के लेखक की व्यवस्था करनी होगी।

ख. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्था किए गए लेखक उसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और लेखक दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में लेखक की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे सावधानीपूर्वक इंगित करना चाहिए। बाद में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. एक अभ्यर्थी के लिए एक लेखक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी के लिए एक लेखक नहीं हो सकता है।

घ. लेखक किसी भी शैक्षणिक स्टीम से हो सकता है। हालांकि, "सामान्य" के अलावा अन्य विषयों में पदों के लिए, लेखक को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्टीम से अलग होना चाहिए।

ङ. अभ्यर्थी और साथ ही लेखक दोनों को एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा जो पुष्टि करता है कि लेखक ऊपर वर्णित एक लेखक के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार / अंतिम परिणाम के बावजूद, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

च. वे अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग करते हैं, वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए या अन्यथा परामर्श के अनुसार 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

छ. लेखक को स्वयं उत्तर नहीं देना चाहिए। इस तरह के किसी भी व्यवहार को देखने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ज. केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसे समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं किए गए अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

झ. अभ्यर्थियों को केवल तभी लेखक / प्रतिपूरक समय का उपयोग करने का विकल्प चुनना चाहिए जब वे इस संबंध में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन सेवाओं / रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र हों।

ञ. लेखक को भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगता मामलों के विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ.नंबर 16-110/2003-डीडीआईआईआई दिनांक 26 फरवरी, 2013 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

ट. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि लेखक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक लेखक की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाएगा यदि यह परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि लेखक ने स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब दिए।

### (ख) लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

उन गतिक अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों को प्रटिघनता 20 मिनट अथवा अन्यथा सूचित किए गए अनुसार प्रतिपूरक स्मयवधि की अनुमति होगी जहां प्रभावशाली (लेखन) इतनी अधिक सीमा तक प्रभावी होता हो की प्रकार्य -निष्पादन ( न्यूनतम 40 % हानि ) तक धीमा हो जाता हो ।

### (ग) दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश

- ✓ दृष्टि बाधित अभ्यर्थी (जिनकी अक्षमता 40% से कम न हो) वे परीक्षा की सामग्री को आवर्धित फ्रॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के प्रति घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए अथवा सूचित प्रतिपूर्ति समय के लिए पात्र होंगे।
- ✓ टेस्ट की सामग्री को आवर्धक फ्रॉन्ट में देखने की सुविधा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगी।

**नोट:** केवल बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क विकलांगता" का अर्थ एक निर्दिष्ट विकलांगता के 40% से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले वे व्यक्ति शामिल हैं, जहां विकलांगता को मापने योग्य अवधि में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्थापित किया गया है। एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन / पुनः सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।

ये दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, (यदि कोई हों), के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं।

### (iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण

(क) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वाषक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किया जाना है।

(ख) आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, जीविका आदि और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है उन्हें परिवार की आय के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित होने से बाहर रखा जाएगा:

- i) 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि ।
- ii) 1000 वर्ग फुट और उससे ऊपर के आवासीय प्लैट।
- iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय

विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों / शहरों में एक "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुति पर लिया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाना होगा।

(ङ) इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता, और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहनों के साथ-साथ उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होंगे।

(च) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

**अस्वीकरण: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन हैं।**

**ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।**

#### 4. पात्रता मानदंड

##### 4.1 राष्ट्रीयता / नागरिकता

अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से

- भारत का नागरिक होना चाहिए या
- नेपाल का नागरिक होना चाहिए या
- भूटान का नागरिक होना चाहिए या
- तिब्बत का ऐसा शरणार्थी होना चाहिए, जो ( 1 जनवरी, 1962 के पहले ) भारत में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से भारत आया हो या
- भारतीय मूल का एक व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो।

परंतु उपर्युक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) या (v) से संबंधित कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे सिडबी द्वारा आयोजित परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अंतिम चयन होने पर, नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा, जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो।

##### 4.2 आयु सीमा यथा 14 दिसंबर, 2022) इसे (4.3 के साथ पढ़ा जाए)

###### न्यूनतम एव अधिकतम आयु सामा

आयु 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए  
(केवल वे अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हैं जो 14.12.1994 से पहले तथा 15/12/2001 के बाद (दोनों तारीखों सहित) न जन्में हों)

##### 4.3 अधिकतम आयु सीमा में निम्नवत छूट दी जाएगी :-

क्रमांक	वर्ग	उम्र में छूट /
1	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रॉमी लेयर)	3 वर्ष



क्रमांक	वर्ग	उम्र में छूट /
3	पी डब्ल्यू बी डी [अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति जैसा कि "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के तहत परिभाषित किया गया है।	10 वर्ष
	पी डब्ल्यू बी डी (अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों) (अन्य पिछड़ा वर्ग छूट के साथ संचयी)	13 वर्ष
	पी डब्ल्यू बी डी [अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी] [अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छूट के साथ संचयी]	15 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी (भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रों सिविल सेवाओं आर पदा पर पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार) पूर्व सैनिकों, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी (ईसीओ)/ शॉर्ट सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा की है और असाइनमेंट पूरा करने पर कार्यमुक्त कर दिये गए हों (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्य एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाला है), सेवामुक्ति बर्खास्तगी अथवा दुर्घटन अथवा अकुशलता अथवा शारीरिक अक्षमता के आधार पर नहीं होनी चाहिए।	5 वर्ष
5	1984 के दंगों से प्रभावित लोग	5 वर्ष

नोट : (i) निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होती है।

(ii) आयु में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय और सिडबी द्वारा आवश्यक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में मूल / फोटोकॉपी के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र (ओं) को प्रस्तुत करना होगा।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति / वर्ग प्रमाण पत्र।

ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के तहत सिविल पद और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर किए गए क्रीमी लेयर अनुभाग से संबंधित नहीं है। ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के तहत आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सामान्य के रूप में अपनी श्रेणी को इंगित करना चाहिए। अभ्यर्थी के पास समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(iii) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व-सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तथापि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, एक भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में शामिल हो जाता है, संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक-वार ब्यौरे के बारे में स्व-घोषणा/वचन पत्र देना चाहिए, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरी जाती हैं और जहां भी पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है। अधिकारियों के संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(iv) सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयु में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध नहीं होगी सिवाय इसके कि जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है, और विभागीय / कर्मचारी अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष तक, जैसा कि बिंदु 5.4 (iii) में वर्णित है।

**4.4 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ (यथा 03 जनवरी, 2023 तक)**

पद का नाम	स्ट्रीम	शैक्षणिक योग्यता
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' - सामान्य स्ट्रीम	सामान्य	<p>1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (अधिमानतः वाणिज्य / अर्थशास्त्र / प्रबंधन विषय से)</p> <p><b>या</b></p> <p>2. कानून में स्नातक की डिग्री / इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (अधिमानतः सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल);</p> <p><b>या</b></p> <p>3. भारत सरकार/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से सीए / सीएस / सीडब्ल्यूए / सीएफए / सीएमए या पीएच.डी.।</p> <p><b>नोट: अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते उन्हें साक्षात्कार के समय अंतिम मार्कशीट और अनंतिम / अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र मूल रूप में जमा करना होगा।</b></p>

**नोट:-**

- सिडबी प्राप्त आवेदनों के आधार पर न्यूनतम- शैक्षणिक योग्यता और अंकों के प्रतिशत संबंधी पात्रता मानदंडों को ऊंचा करने / अशोधित करने का अधिकार रखता है।
- अभ्यर्थी के पास वैध अंक सूची / डिग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह स्नातक / स्नातकोत्तर है, जैसा कि उस पर पंजीकरण के दिन लागू होता है और ऑनलाइन पंजीकरण करते समय वह स्नातक में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाता है। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- स्टाफ अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंड पूरा करते हों। उन्हें पात्रता मानदंडों के अधीन आयु में 5 वर्ष की शिथिलता तथा सामान्य भर्ती के लिए लागू आवेदन शुल्क से छूट दी जा सकती है। आयु में 5 वर्ष की यह शिथिलता उनके संबंधित अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग व्यक्ति श्रेणी के लिए दी जाने वाली छूट के अतिरिक्त होगी।
- प्रतिशत अंकों की गणना करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों के सभी सेमेस्टर(रों)/वर्ष(रों) में प्राप्त किए गए कुल अंकों को सभी विषयों के कुल अधिकतम अंकों से विभाजित किया जाएगा, जिसमें विषयों के मानद / वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक होने से कोई फर्क नहीं किया जाएगा, यदि कोई हो।** यह उन विश्वविद्यालयों हेतु भी लागू होगा, जहां श्रेणी / ग्रेड का निर्णय मानद विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को स्नातक/ स्नातकोत्तर में प्राप्त किए गए प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव अंकों तक दर्शाना चाहिए। इस प्रकार निकाले गए प्रतिशत के अंश पर ध्यान नहीं दिया जाएगा अर्थात 59.99% को 60 % से कम माना जाएगा तथा 54.99% को 55 % से कम माना जाएगा।
- कुछ विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा श्रेणी या अंकों के प्रतिशत नहीं दिए जाते तथा कुल ग्रेड अंक आवंटित किए जाते हैं [अर्थात सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि]। जहां सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि दिए जाते हैं, वहां पर इन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय / संस्थान कुल ग्रेड अंकों को श्रेणी तथा /अथवा अंकों के प्रतिशत में रूपांतरित करने का कोई मानदंड परिभाषित करती है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि, जहां पर विश्वविद्यालय / संस्थान कुल ग्रेड अंकों को श्रेणी तथा /अथवा अंकों के प्रतिशत में रूपांतरित करने का कोई मानदंड परिभाषित नहीं करती है, तो इस स्थिति में इसकी गणना निम्नवत की जाएगी:

समकक्ष सीजीपीए / ओजीपीए /सीपीआई अथवा इसी प्रकार की शब्दावलिां, जो 10 अंकों की स्केल पर दी जाती हों	श्रेणी / दर्जा	अंकों का कुल %
6.75	I [प्रथम]	

समकक्ष सीजीपीए / ओजीपीए /सीपीआई अथवा इसी प्रकार की शब्दावलिां, जो 10 अंकों की स्केल पर दी जाती हों	श्रेणी / दर्जा	अंकों का कुल %
		60%
6.25	॥ [द्वितीय]	55%

- vi. जहां कुल ग्रेड अंक अथवा अंकों का प्रतिशत दिया गया हो, तो वह पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान कुल अंक दर्शाएगा ।
- vii. जहां कुल ग्रेड अंक [सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि] 10 के अलावा किसी अन्य संख्या में से दिए जाते हों, तो इसे 10 के समतुल्य परिवर्तित करते हुए, इसकी गणना उक्त मद[1] के अनुरूप की जाएगी ।
- viii. सभी शैक्षणिक योग्यताएं यूजीसी / भारत सरकार से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से प्राप्त की गई होनी चाहिए ।
- ix. बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा **03 जनवरी, 2023** को अथवा उससे पूर्व परिणाम घोषित किए जाने के संबंध में समुचित दस्तावेज **साक्षात्कार** के समय प्रस्तुत किए जाने होंगे। पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने की तिथि वह तिथि होगी, जो विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी अंकतालिका अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र पर अंकित हो। यदि किसी परीक्षा-विशेष का परिणाम विश्वविद्यालय/ संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित गया हो तथा वेब-आधारित प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, तो विश्वविद्यालय / संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरित ऐसे समुचित दस्तावेज / प्रमाणपत्र की **मूलप्रति** सत्यापन एवं आगे की प्रक्रिया हेतु मान्य मानी जाएगी, जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि का उल्लेख उपयुक्त रूप में किया गया हो। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार के समय अनंतिम / अंतिम प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा जो आवेदक ऐसा करने में असमर्थ होंगे, उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी।

#### 5. चयन प्रक्रिया

पद के लिए चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होगी। ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं विवरणात्मक परीक्षा दोनों शामिल होंगे और तत्पश्चात् व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। जो अभ्यर्थी बैंक द्वारा निर्णीत न्यूनतम प्राप्तांक सीमा उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्वरूप निम्नवत रहेगा :

क्रमांक	परीक्षा का नाम	परीक्षा का स्वरूप	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
1	अंग्रेजी भाषा	वस्तुनिष्ठ	30	30	20 मिनट
2	सामान्य जागरूकता (बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र तथा आर्थिक व सामाजिक मुद्दों के विशेष संदर्भ में)	वस्तुनिष्ठ	50	50	30 मिनट
3	तार्किक अभिरुचि	वस्तुनिष्ठ	40	60	40 मिनट
4	मात्रात्मक अभिरुचि	वस्तुनिष्ठ	40	60	30 मिनट
	<b>कुल</b>		<b>160</b>	<b>200</b>	<b>120 मिनट</b>
<b>ऑनलाइन विवरणात्मक परीक्षा:</b> अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर टंकण के माध्यम से उत्तर देने अपेक्षित होंगे					
5	भारत के वित्तीय/ बैंकिंग / आर्थिक/ एवं	विवरणात्मक	3	50	<b>60 मिनट</b>

सामाजिक विषयों पर दो निबंध (20 अंक प्रत्येक) और एक व्यावसायिक पत्र (10 अंक)				
टिप्पण: सभी तीनों प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।				
<b>कुल</b>		<b>163</b>	<b>250</b>	<b>180 मिनट</b>

अंग्रेजी भाषा एवं विवरणात्मक प्रश्नपत्र को छोड़कर, सभी प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध कराए जाएंगे। अंग्रेजी भाषा एवं विवरणात्मक प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में होगा। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहु विकल्पी रहेंगे। एक प्रश्न के पाँच उत्तरों में से केवल एक सही उत्तर होगा। अभ्यर्थी को सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होगा तथा उस विकल्प पर माउस से क्लिक करना होगा, जो सबसे उपयुक्त/ सही लगे। अभ्यर्थी जिस विकल्प का चयन करता है, वह उस प्रश्न के लिए उसका उत्तर माना जाएगा। **अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए शास्ति रहेगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक गलत उत्तर हेतु, दंड के रूप में उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों के ¼ अंक काट लिए जाएँगे।** ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांक निम्नांकित प्रक्रिया को अपनाते हुए निर्धारित किए जाएँगे :

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी ने जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया होगा, उन्हें गलत उत्तरों के लिए दंड-अंक लगाने के बाद संशोधित अंकों की गणना के उद्देश्य से हिसाब में लिया जाएगा।

(ii) विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई के स्तर में मामूली अंतर (यदि कोई हो) को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए संशोधित अंकों को समरूप बनाया जाता है और ईक्वेटेड स्कोर का आकलन किया जाता है।

(\*किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को मूल रूप में इक्वेट किया जाता है, जिसके लिए सभी रूपों के अंकों के वितरण को ध्यान में रखा जाता है।)

(iii) परीक्षा-वार अंक और कुल प्राप्तांक को दो दशमलव बिन्दुओं तक रिपोर्ट किया जाता है।

**टिप्पणी:** कट-ऑफ दो चरणों में लागू किए जा सकते हैं:

(i) प्रत्येक परीक्षा के अलग-अलग प्राप्तांकों पर

(ii) कुल प्राप्तांकों पर

परीक्षा में कुल पूर्णांक 250 होंगे, जिसमें अंग्रेजी के विवरणात्मक खंड के 50 अंक शामिल हैं। अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक खंड, दोनों मिलाकर कुल 250 पूर्णांकों में से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए छाँटा जाएगा। विवरणात्मक परीक्षा का मूल्यांकन केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अर्ह (कुल एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड पर) होंगे और जिन्होंने अपनी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पर्याप्त रूप से अधिक कुल प्राप्तांक पाए होंगे। विवरणात्मक परीक्षा के उत्तरों का मूल्यांकन किए जाने विषयक का अनुपात रिक्तियों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपर्युक्त अनुपात का निर्धारण सिडबी के विवेकाधिकार के अध्यक्षीन होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड, कुल वस्तुनिष्ठ परीक्षा और विवरणात्मक पर्चे के अर्हताकारी कट-ऑफ अंकों का निर्णय सिडबी करेगा। ऑनलाइन विवरणात्मक परीक्षा के प्रश्न आपकी कंप्यूटर-स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। उत्तर देने के लिए कुंजी-पटल का इस्तेमाल करके टाइप करना होगा। विवरणात्मक पर्चे में प्रश्नों का उत्तर टाइप करना आरंभ करने के पूर्व कृपया जाँच लें कि कुंजीपटल की सभी कुंजियाँ

ठीक से काम कर रही हैं।

सिडबी, परीक्षा की संरचना को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसे इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना हैंडआउट में दी जाएगी, जिसे अभ्यर्थियों को सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) से कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

#### 6. भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी)

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए बैंक 8 दिन की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। तदनुसार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों के उन इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जो बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुरूप पात्र पाए जाएंगे। प्रशिक्षण का आयोजन **ऑनलाइन** किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी इच्छा को इंगित कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए बुलाए जाने या सिडबी की सेवा में भर्ती के लिए कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा।

कृपया नोट करें कि भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने मात्र से किसी अभ्यर्थी को सिडबी में चयन का अधिकार नहीं मिल जाता।

#### 7. ऑनलाइन परीक्षा:

ऑनलाइन परीक्षा भारत भर के अनेक शहरों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों की संभावित सूची **संलग्नक-1** में उपलब्ध है।

- (i) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदनपत्र में ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपना पसंदीदा केंद्र इंगित करना होगा।
- (ii) ऑनलाइन परीक्षा संबन्धित बुलावा-पत्र में दिए गए केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।
- (iii) परीक्षा के केंद्र /स्थान / दिनांक/ सत्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) प्रत्युत्तरों, प्रशासनिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर बैंक अपने विवेक से किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त करने और / या नए केंद्र जोड़ने का अधिकार रखता है।
- (v) सिडबी को किसी अभ्यर्थी को उसके पसंदीदा केंद्र के बजाय कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का भी अधिकार है।
- (vi) अभ्यर्थी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिमों और खर्च पर आएगा और सिडबी किसी प्रकार की चोट या हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र का चयन एक बार किया जा सकता है, जो अंतिम होगा।

8. ऑनलाइन परीक्षा में सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों को बाद में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार; चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली इन 5 केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में साक्षात्कार के लिए अपने पसंदीदा केंद्र का अलग से उल्लेख करना होगा। हालांकि, सिडबी प्रत्युत्तर, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर अपने विवेक से

किसी भी परीक्षा/ साक्षात्कार केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सिडबी के पास किसी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केन्द्र से इतर केंद्र को आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

- (i) सूचीबद्ध पात्र अभ्यर्थियों को **भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण /ऑनलाइन परीक्षा /साक्षात्कार** के समय, तिथि और स्थल के पते की सूचना, बुलावा-पत्र के माध्यम से दी जाएगी। **बुलावा-पत्रों के ऑनलाइन डाउनलोड की सूचना के लिए अभ्यर्थियों को ई-मेल संदेश और एसएमएस उपयुक्त समय पर भेजे जाएँगे।** अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार के बुलावा पत्र सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) से डाउनलोड करने होंगे। अभ्यर्थियों को अलग से कोई अन्य पत्राचार अर्थात् डाक से या अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। यदि कोई अन्य अनुदेश होंगे, तो उन्हें भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। बुलावा-पत्र के बिना अभ्यर्थियों को **भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण /ऑनलाइन परीक्षा /साक्षात्कार** में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन परीक्षा की तिथि के संबंध में नियमित अंतराल पर बैंक की वेबसाइट देखें।**
- (ii) अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार बुलावा-पत्र सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) से डाउनलोड करने होंगे। केंद्र, स्थान का पता, साक्षात्कार का समय और दिनांक शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार की तिथि, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, सिडबी अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते, यदि कोई हों, साक्षात्कार की दिनांक / स्थान/ समय/ केंद्र आदि को बदलने या किसी दिनांक /सत्र / स्थान/ केंद्र / अभ्यर्थियों के समूह विशेष के लिए पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (iii) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के दौरान, अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए वैध निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। सिडबी अलग से भेजे गए किसी प्रमाणपत्र/ प्रेषण/ दस्तावेज को प्राप्त करने/ कनेक्ट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

**साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो)**

साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी द्वारा अपनी पात्रता तथा पहचान के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल तथा सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, ऐसा न करने पर, अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार के समय, वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर, भर्ती-प्रक्रिया में आगे शामिल होने की उसकी उम्मीदवारी बाधित हो जाएगी।

- (क) वैध साक्षात्कार बुलावा-पत्र की मुद्रित प्रति।
- (ख) ऑनलाइन आवेदनपत्र की सिस्टम से ली गई वैध मुद्रित प्रति।
- (ग) विधिवत प्रमाणित परीक्षा बुलावा-पत्र (पहचान प्रमाण की प्रमाणित प्रति के साथ)। अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के समय परीक्षा के प्रमाणित/मुद्रांकित बुलावा-पत्र और पहचान प्रमाण की प्रमाणित/मुद्रांकित फोटोकॉपी नहीं लाते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (घ) जन्म-दिनांक का प्रमाण (सक्षम म्युनिसिपल प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म-प्रमाणपत्र अथवा

एसएसएलसी/कक्षा-10 का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मदिनांक दर्ज हो)

- (ड) मद सं.8 (viii) में दर्शाए अनुसार फोटो-पहचान का प्रमाण।
- (च) मद सं.8 (ix) में दर्शाए अनुसार स्थाई पते का प्रमाण।
- (छ) स्नातक अथवा समतुल्य योग्यता आदि की अंक-सूचियाँ तथा प्रमाणपत्र। दिनांक **03.01.2023** को अथवा उससे पहले बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए परीक्षा-परिणामों के समुचित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं।
- (ज) अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विहित फॉर्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति-प्रमाणपत्र।
- (झ) अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के मामले में, प्रमाणपत्र में यह विशिष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी, क्रीमी-लेयर वर्ग में नहीं आता है जो भारत सरकार के अधीन सिविल पदों व सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण लाभों में शामिल नहीं है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, गैर-क्रीमी-लेयर खंड सहित अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र, साक्षात्कार की दिनांक को वैध होना चाहिए (साक्षात्कार में बुलाए जाने पर, साक्षात्कार की दिनांक से एक वर्ष पहले की अवधि में जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र वैध होगा)। प्रमाणपत्र में दर्शाया गया जाति-नाम का, केन्द्र सरकार की सूची/अधिसूचना में दिए गए जाति-नाम के साथ, शब्दशः मिलान होना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हैं, परंतु क्रीमी-लेयर में आते हैं तथा/अथवा यदि उनकी जाति केन्द्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है, तो वे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदनपत्र में अपनी श्रेणी सामान्य वर्ग के रूप में दर्शानी चाहिए।
- (ञ) विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र। यदि प्रत्याशी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लेखक का उपयोग किया गया है तो निर्धारित प्ररूप में लेखक का विवरण विधिवत् रूप से भर कर प्रस्तुत किया जाए।
- (ट) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।
- (ठ) भूतपूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के समय, पेंशन भुगतान आदेश तथा अंतिम/वर्तमान (मूल तथा कार्यकारी सहित) रैंक के दस्तावेज़ी प्रमाण सेवा अथवा डिस्चार्ज बुक के साथ-साथ सेवा या डिस्चार्ज बुक की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। जो अभी रक्षा सेवाओं में सेवारत हैं, उन्हें अपने सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें **03.01.2024** को या उससे पूर्व रक्षा-सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
- (ड) सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) में कार्यरत अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, उनके नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति-प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, इसके अभाव में, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सिडबी में चयन के लिए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के समय, प्रस्तुत किए गए सशर्त अनापत्ति-

प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी / आगे की चयन प्रक्रिया पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

- (ब) जो व्यक्ति 4.3.(v) के अंतर्गत आयु में छूट के पात्र हों, वे जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा मंजूर तथा वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के 27.07.2007 के पत्राचार एफ सं. 9/21/2006- आईआर के जरिए सूचित राहत पैकेज के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं।
- (ण) अनुभव प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।
- (त) बिंदु सं, 4.1 की श्रेणी (ii), (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
- (थ) पात्रता के समर्थन में अन्य को प्रासंगिक दस्तावेज

**टिप्पणी :** - अभ्यर्थी यदि ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अशक्त व्यक्तियों को आने जाने के किराए की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी। साक्षात्कार से पहले या बाद में अभ्यर्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज सिडबी / आईबीपीएस को सीधे नहीं भेजे जाने चाहिए।

- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अशक्त व्यक्ति का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं ( भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित)
- (v) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों के लिए : अभ्यर्थी और उसका परिवार सामान्यतः जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के (i) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलैक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / उप कलैक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के स्तर से नीचे का नहीं) / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट (iii) तहसीलदार से अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी (iv) उस क्षेत्र के उप प्रभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: (i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलैक्टर/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त, (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और (iv) उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो।
- (vi) मानदंडानुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए : प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी; जिला स्तर का मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी और एक ऑर्थोपेडिक / ऑप्यैल्मिक / ईएनटी सर्जन या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अन्य पदनामित व्यक्ति शामिल होंगे।
- (vii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडबल्यूएस, पीडबल्यूबीडी श्रेणियों के



अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय समर्थक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(viii) पहचान का प्रमाण : परीक्षा के समय (पृ. 26, 20-21 के साथ पढ़ा जाए) परीक्षा हॉल में, अभ्यर्थी की वर्तमान में वैध फोटो पहचान की एक फोटोकॉपी के साथ बुलावा-पत्र (**बिल्कुल वही नाम जो कॉल लेटर पर दिखाई देता है**) जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / वोट कार्ड / बैंक पासबुक के साथ किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय/ आधार/ ई-आधार कार्ड द्वारा जारी फोटोग्राफ/ पहचान पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी/ जन प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो/ फोटो पहचान प्रमाण/ फोटोग्राफ के साथ कर्मचारी आईडी/ बार काउंसिल पहचान पत्र सत्यापन के लिए निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान कॉल लेटर पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची और जमा किए गए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में सत्यापित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध है तो अभ्यर्थी को परीक्षा/ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

1. इस प्रयोजन के लिए राशन कार्ड और प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेन्स को वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा।

2. उन अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / अपने मूल विवाह प्रमाण पत्र / शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

(ix) स्थायी पते का प्रमाण (केवल साक्षात्कार के समय अपेक्षित): (i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरणी (iii) किसी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी का पत्र (iv) बिजली का बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता का पत्र (बशर्ते बैंक उससे संतुष्ट हो) (vii) राज्य सरकार या वैसे ही किसी पंजीकरण प्राधिकारी के यहां पंजीकृत किराया करार जिसमें अभ्यर्थी का पता उल्लिखित हो (कोई भी एक दस्तावेज जिसमें दी गई जानकारी से बैंक संतुष्ट हो, पर्याप्त होगा)। जबकि आईडी प्रूफ में स्थायी पता भी होता है, स्थायी पते के लिए अलग से प्रूफ की जरूरत नहीं होती है।

**नोट:** अभ्यर्थियों को क्रमशः परीक्षा / साक्षात्कार में भाग लेने के लिए, मूल रूप में वही फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसका नाम ऑनलाइन आवेदन पत्र / कॉल लेटर पर दिखाई देता है और परीक्षा कॉल लेटर के साथ-साथ इंटरव्यू कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा / साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर:

- ✓ ऑनलाइन परीक्षा का कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) परीक्षा स्थल पर जमा करना होगा।
- ✓ साथ ही, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लेखक फॉर्म (जहां लागू हो) भी लिया जाएगा।
- ✓ अभ्यर्थियों को "सूचना हैंडआउट" और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर अभ्यर्थी द्वारा चिपकाई गई) भी लाना होगा।
- ✓ कॉल लेटर पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के बिना या एक अतिरिक्त फोटोग्राफ (कॉल लेटर पर चिपकाए गए समान) के बिना रिपोर्टिंग करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*(यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी इसी तस्वीर की लगभग 8 प्रतियां अपने पास रखें जो*

**आवेदन के समय अपलोड की गई है, क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।)**

- ✓ अभ्यर्थी को जाते समय प्रयोगशाला/परीक्षा स्थल से बाहर निकलने पर रखे गए बक्सों में रफ शीट डाल देंगे। विशिष्ट निर्देश स्थल पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

**(x) परीक्षोत्तर नियंत्रण**

अभ्यर्थी परीक्षा संपन्न होने के बाद भीड़ न करते हुए व्यवस्थित तरीके से परीक्षा स्थल के कर्मचारियों के निर्देशानुसार बाहर चले जाएंगे।  
(परीक्षा की निर्धारित तिथि के दौरान स्थिति के आधार पर परीक्षा से संबंधित कुछ और निर्देश जोड़े या आशोधित किए जा सकते हैं)

**9. अप्रतिदेय आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क [लागू जीएसटी सहित]:**

अभ्यर्थी की श्रेणी	आवेदन शुल्क (₹में)	सूचना शुल्क (₹ में)	कुल प्रभार (₹ में)
अजा / अजजा / पीडब्ल्यूबीडी	शून्य	₹175/- (एक सौ पचहत्तर रुपये मात्र)	₹175/- (एक सौ पचहत्तर रुपये मात्र)
अन्य (ओबीसी/ईडब्ल्यूएस और सामान्य अभ्यर्थियों सहित)	₹925/- (नौ सौ पच्चीस रुपये मात्र)	₹175/- (एक सौ पचहत्तर रुपये मात्र)	₹1100/- (एक हजार एक सौ रुपये मात्र)
स्टाफ अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य

**10. आवेदन कैसे करें**

अभ्यर्थी केवल सिडबी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**(i) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व-अपेक्षाएँ**

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को चाहिए कि: -

(i) स्कैन करें :

- ✓ उनके फोटोग्राफ (4.5 से.मी.\* 3.5 से.मी)
- ✓ उनके हस्ताक्षर (काली स्याही से)
- ✓ बाएं अंगूठे का निशान (काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर)
- ✓ एक हस्त-लिखित घोषणा (काली स्याही से सफेद कागज पर) (नीचे पाठ दिया गया है)

यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए ये सभी दस्तावेज़ नीचे दिए गए स्कैनिंग और अपलोड करने से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

(ii) बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iii) बाएं अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए। (यदि किसी अभ्यर्थी के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है।)

(iv) हस्तलिखित घोषणा का पाठ इस प्रकार है -

"मैं, \_\_\_\_\_ (अभ्यर्थी का नाम), एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। जब भी आवश्यकता होगी मैं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा।"

(v) उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा अभ्यर्थी के हाथों से लिखी और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि यह किसी और द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में, जो लिख नहीं सकते हैं,

- वे घोषणा का टेक्स्ट टाइप करवा सकते हैं और टाइप किए गए घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।)
- (vi) अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज़ तैयार रखें।
- (vii) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी हो, जिसे कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। सिडबी केवल इसी ई-मेल आईडी पर पीआरटी/ऑन-लाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना भेजेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी बनानी चाहिए और उस ईमेल खाते को बनाए रखना चाहिए।

## (ii) ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

### क. आवेदन प्रक्रिया

1. **अभ्यर्थी सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) पर जाएं - "ऑनलाइन आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।**
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें" टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।
3. यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सहेजें और आगे बढ़ें" टैब चुनकर पहले से दर्ज किए गए डेटा को सहेज सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों को सत्यापित करने के लिए "सहेजें और आगे बढ़ें" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो इसे आशोधित करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र को ध्यान से भरना चाहिए और अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों को सत्यापित / सत्यापित करना चाहिए कि वे सही हैं।
4. **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे जाने वाले विवरणों को ध्यान से भरें और सत्यापित करें क्योंकि "पंजीकरण पूर्ण करें" बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव / स्वीकार्य नहीं होगा।**
5. अभ्यर्थी या उसके पिता / पति आदि का नाम आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र / अंक पत्र / पहचान प्रमाण में दिखाई देता है। कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन पाया गया तो उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।
6. अपना विवरण सत्यापित करें और 'अपने विवरण सत्यापित करें' और 'सहेजें और आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सहेजें।
7. अभ्यर्थी बिंदु "सी" में दिए गए फोटो और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
8. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
9. "पंजीकरण पूर्ण करें" से पहले संपूर्ण आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।
10. यदि आवश्यक हो, तो विवरण आशोधित करें, और सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने के बाद ही 'पंजीकरण पूर्ण करें' पर क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड की गई तस्वीर, हस्ताक्षर और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं।
11. "भुगतान" टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
12. 'प्रस्तुत करें' बटन पर क्लिक करें।

### ख. शुल्क का भुगतान

#### ऑनलाइन विधि

1. आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया को पूरा

किया जा सकता है।

2. भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे / वीजा / मास्टर कार्ड / मैस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड / मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। डबल चार्ज से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएं।
4. लेन-देन के सफल समापन पर, एक ई-रसीद उत्पन्न होगी।
5. 'ई-रसीद' का उत्पन्न न होना भुगतान विफलता को दर्शाता है। भुगतान की विफलता पर, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।
6. अभ्यर्थियों के लिए ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। **कृपया ध्यान दें कि यदि यह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हो सकता है।**

नोट :

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी देने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें, दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएं
- (ii) क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी कीमतें भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप एक गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।
- (iii) अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेन-देन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो को बंद कर दें।

- (i) एकाधिक पंजीकरण के मामले में, केवल अंतिम पंजीकरण ही मान्य रखा जाएगा।
- (ii) शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, अभ्यर्थी को सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भरे गए विवरण सही हैं और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ सहेज कर रखें। उन्हें यह प्रिंटआउट सिडबी को नहीं भेजना चाहिए।
- (iii) आवेदन के सफल पंजीकरण पर उत्पन्न पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ एक ईमेल / एसएमएस सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा उत्पन्न पावती के रूप में अभ्यर्थी के ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। यदि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे यह मान सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।
- (iv) ऑनलाइन आवेदनों को सही ढंग से भरने के लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों के कारण अमान्य आवेदनों के मामले में, सिडबी द्वारा इस प्रकार एकत्रित आवेदन राशि की वापसी के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों को सत्यापित करना / सत्यापित करवाना चाहिए कि वे सही हैं।

**अंतिम समय पर भीड़ से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क का भुगतान करें और जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण करें।**

**नोट - शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण वाले जमा किए गए आवेदन को पुनर्मुद्रण करने का भी**

कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन / आशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए सिडबी जिम्मेदार नहीं होगा।

**प्रावधान है।**

- (vi) ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी तरह से अधूरा है जैसे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए बिना / असफल शुल्क भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।
- (vii) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट पर भारी भार के कारण सिडबी की वेबसाइट पर वेबसाइट जाम / लॉगऑन करने में अक्षमता/असफलता/विफलता की संभावना से बचा जा सके।
- (viii) सिडबी उपर्युक्त कारणों से या सिडबी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
- (ix) कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त प्रक्रिया ही आवेदन करने की एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अधूरे चरणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (x) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि बाद में उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत पाया जाता है तो वह अभियोजन/अदालती परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।
- (xi) ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित पते में परिवर्तन, या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा सभी स्थानों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके कॉल लेटर, उपस्थिति पत्रक और भविष्य में सिडबी के साथ सभी पत्राचार में समान होना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा हाल ही में एक पहचानने योग्य तस्वीर अपलोड की जानी चाहिए और अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए उसी की प्रतियां रख लें। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे प्रक्रिया पूरी होने तक अपनी दिखावट को न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक ही तस्वीर प्रस्तुत करने में विफलता, किसी भी स्तर पर पहचान के बारे में संदेह अयोग्यता का कारण बन सकता है।

**ग दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश**

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी।

**(i) फोटोग्राफ छवि: (4.5 सेमी \* 3.5 सेमी) /**

- हाल ही में लिया हुआ फोटोग्राफ पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि चित्र हल्के रंग के, अधिमानतः सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लिया गया है। /
- तनाव मुक्त चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें
- यदि तस्वीर धूप के दिन ली गई है, तो सूरज को अपने पीछे रखें, या अपने आप को छाया में रखें, ताकि आप झुके नहीं और कोई गहरी छाया न आए।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड-आई" नहीं है।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं आ रहा है और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं।
- टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है।
- सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान की अनुमति है लेकिन इससे आपके चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- फ़ाइल का आकार 20केबी -50 केबी के बीच होना चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50केबी से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक है तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स को समायोजित करें जैसे कि डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या।

**(ii) हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा चित्र:**

- आवेदक को श्वेत पत्र पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करेंगे।
  - ✓ आकार 140 x 60 पिक्सेल (अधिमानतः)
  - ✓ फ़ाइल का आकार हस्ताक्षर के लिए 10केबी - 20केबी और बाएं अंगूठे के निशान के लिए

- ✓ 20केबी - 50केबी के बीच होना चाहिए।
  - ✓ सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20केबी से अधिक नहीं है।
  - आवेदक को अपने बाएं अंगूठे का निशान सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगाना है। /
  - ✓ फ़ाइल का प्रकार: जेपीजी / जेपीईजी
  - ✓ आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए अधिमानतः) यानी 3 सेमी \* 3 सेमी (चौड़ाई \* ऊंचाई)
  - ✓ फ़ाइल का आकार: 20 केबी - 50 केबी
  - आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी है।
  - ✓ फ़ाइल का प्रकार: जेपीजी / जेपीईजी
  - ✓ आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए अधिमानतः) यानी 10 सेमी \* 5 सेमी (चौड़ाई \* ऊंचाई)
  - हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति की।
  - यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
  - **बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।**
- (iii) **दस्तावेजों को स्कैन करना:**
- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
  - रंग को ट्रू कलर में सेट करें / Set Color to True Color
  - ऊपर बताए अनुसार फ़ाइल का आकार / File Size as specified above
  - स्कैनर में छवि को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हाथ से लिखित घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर छवि को अंतिम आकार में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है)।
  - यह छवि फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी प्ररूप में होनी चाहिए। **एक उदाहरण फ़ाइल नाम है: image01.jpg या image01.jpeg** छवि आयामों को फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल छवि आइकन पर माउस ले जाकर जांचा जा सकता है।
  - एमएस विंडोज / एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी एमएस पेंट या एमएस ऑफिस / पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्ररूप में दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। फ़ाइल मेनू में 'सेव एस' विकल्प का उपयोग करके किसी भी प्ररूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ को .jpg / .jpeg प्ररूप में सहेजा जा सकता है। क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार को समायोजित किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।
    - यदि फ़ाइल का आकार और प्ररूप निर्धारित के अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
    - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा।

#### **दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया**

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "फोटो अपलोड करें / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें"
- ब्राउज़ करें और उस स्थान का चयन करें जहां स्कैन की गई तस्वीर/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा फ़ाइल सहेजी गई है।
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें।
- यदि फ़ाइल का आकार और प्ररूप निर्धारण के अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- अपलोड की गई छवि का पूर्वावलोकन छवि की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के साथ पुनः अपलोड किया जा सकता है।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा को निर्दिष्ट रूप में अपलोड नहीं करते हैं।

**नोट :-**

1. यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो अभ्यर्थी का आवेदन खारिज किया जा सकता है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी को यह जांचना चाहिए कि चित्र स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो अभ्यर्थी अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और फॉर्म जमा करने से पूर्व अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकता है।
3. अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. यदि बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखी गई घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो अभ्यर्थी का आवेदन खारिज किया जा सकता है।
5. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया जाने वाला फोटो अपेक्षित आकार का है और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
6. यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया जाता है तो परीक्षा के लिए प्रवेश को अस्वीकार/अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

\*\*\*\*\*



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

**प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001**

**ग्रेड 'ए' में अधिकारियों की भर्ती - सामान्य संवर्ग : 2022**

### सामान्य अनुदेश

#### **[कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले ध्यान से पढ़ें]**

1. आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें वे **14 दिसंबर, 2022 और 03 जनवरी, 2023** को आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि के संबंध में सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसा भी मामला हो, जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं और आवेदन पत्र में दिए गए विवरण सभी प्रकार से सही है।
2. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके / उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट, उनके पिछले नियोक्ता और रेफरी से संतोषजनक रिपोर्ट, जाति / जनजाति के सत्यापन के अधीन होगी। सिडबी की पूर्ण संतुष्टि के लिए वर्ग प्रमाण पत्र और अन्य सभी पूर्व भर्ती औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इसके अलावा, ऐसी नियुक्ति सिडबी के सेवा और आचरण नियमों के अधीन भी होगी।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और कोई अन्य दस्तावेज (मूल या उसकी प्रति में) सिडबी के किसी भी कार्यालय/शाखा को **नहीं भेजा जाना चाहिए**।
4. अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी झूठी, छेड़छाड़ की हुई / मनगढ़ंत विवरण या जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि अभ्यर्थी आवेदन किए गए पद के लिए किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और / या उसने कोई गलत जानकारी प्रस्तुत की है या किसी भी भौतिक तथ्य को छुपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। यदि इनमें से कोई भी कमी नियुक्ति के बाद भी पाई जाती है /होती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
5. इस विज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार, भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले सभी शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की हुई होनी चाहिए। यदि अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाते हैं, तो अभ्यर्थियों को अंकीय मूल्य में ग्रेड के रूपांतरण चार्ट की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए, इसके अंकपत्र में इंगित नहीं किए जाने की स्थिति में, विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो।
6. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में सिडबी का निर्णय अर्थात् अभ्यर्थी की पात्रता, वह चरण जिस पर पात्रता की इस तरह की जांच की जानी है, साक्षात्कार / चयन आदि के संचालन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और कोई अन्य मामला अभ्यर्थी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। **इस संबंध में सिडबी द्वारा किसी भी पत्राचार या किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत पृच्छा के संबंध में प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी।**
7. सिडबी के पास रिक्तियों की संख्या के अनुरूप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानक आदि को बढ़ाने/छूट देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में **अलग से कोई सूचना/अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।**
8. सिडबी आवेदन करने के लिए उनकी पात्रता के संबंध में अभ्यर्थी की सलाह लेने के अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा।



9. सिडबी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया का अकपत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
10. एक बार आवेदन करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किया गया आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क / डाक शुल्क किसी भी खाते में **वापस नहीं किया जाएगा** और न ही भविष्य की किसी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
11. हाल के पासपोर्ट आकार का **रंगीन फोटोग्राफ (बिना काले चश्मे के)** की पर्याप्त प्रतियां जो 'ऑनलाइन' कॉल लेटर पर चिपकाई जाती हैं, उन्हें बाद की भर्ती औपचारिकताओं के लिए रखा जाना चाहिए। **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने स्वरूप को न बदलें। अनंतर, उसी तस्वीर को प्रस्तुत करने में विफलता के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है।**
12. ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में, जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्ररूप में जारी किया जाना चाहिए और ऐसा प्रमाण पत्र अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ओबीसी प्रमाण पत्र में विशेष रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि **अभ्यर्थी क्रीमी लेयर वर्ग** से संबंधित नहीं है, जिसे भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है और यह कि ओबीसी **प्रमाणपत्र ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे के बंद होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।**
13. ओबीसी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजन मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / एक्सिकिटिव मजिस्ट्रेट / अपर सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) न्यूनतम तहसीलदार स्तर के राजस्व अधिकारी (iv) उस क्षेत्र का उप संभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
14. अभ्यर्थी की नियुक्ति जनजाति / वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापित होने और प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन अनंतिम रहेगी। **यदि सत्यापन से पता चलता है कि ओबीसी (क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने के आशय सहित) और अन्य प्रमाण-पत्र के प्रति उसका दावा झूठा है, तो अभ्यर्थी की सेवा बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त की जा सकती है। सिडबी के पास अभ्यर्थी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने का अधिकार भी रहेगा, जैसा कि गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए वह उचित समझे।**
15. साक्षात्कार के दौरान **हिंदी/अंग्रेजी के उपयोग** के लिए विकल्प उपलब्ध होगा। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उचित स्थान पर अपने लिए विकल्प का संकेत कर सकते हैं।**
16. अभ्यर्थियों को अपनी लागत और जोखिम पर भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण /ऑनलाइन परीक्षा / व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के चोट /हानि आदि के लिए सिडबी जिम्मेदार नहीं होगा।
17. अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। तथापि, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निशक्त व्यक्तियों के बाहरी अभ्यर्थियों को यात्रा के प्रमाण (रेल/बस टिकट आदि) के प्रस्तुत करने पर पर सबसे छोटे मार्ग से रेलवे/बस किराए या किए गए वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के बीच द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी से भुगतान किया जाएगा। उपर्युक्त रियायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अशक्त व्यक्तियों के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी, जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय सरकार, संस्थाओं और पंचायतों आदि में सेवारत हैं।
18. चयनित अभ्यर्थी, जो पहले से ही सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, उन्हें **ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से एक 'उचित कार्यमुक्ति पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में' प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** इसलिए अभ्यर्थी, जो पहले से ही सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, अपने वर्तमान नियोक्ता के नियमों/विनियमों के अनुसार सिडबी में आवेदन करने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ता से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

19. केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें, जो भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक हों।
20. ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के समय बुलावा-पत्र एवं अभ्यर्थी का मौजूदा वैध फोटो पहचानपत्र, जैसे – पैनकार्ड /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचानपत्र/फोटो सहित बैंक पासबुक /आधिकारिक पत्रशीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र का प्रमाण / आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जन-प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र का प्रमाण /मान्यताप्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाल का वैध पहचानपत्र/ छायाचित्र के साथ आधार कार्ड/कर्मचारी पहचानपत्र/छायाचित्र के साथ बार काउन्सिल का पहचानपत्र सत्यापन के लिए कक्ष-निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान उसके बुलावा-पत्र, उपस्थिति-सूची और अपेक्षित दस्तावेजों में दिए गए विवरण की सापेक्षता में सत्यापित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदेहास्पद पाई गई तो, उसे परीक्षा /साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**राशन कार्ड और शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस इस कार्य के लिए वैध पहचान पत्र नहीं माने जाएंगे।**

**टिप्पणी :** अभ्यर्थी को परीक्षा और साक्षात्कार में भाग लेते समय क्रमशः परीक्षा के बुलावा-पत्र तथा साक्षात्कार के बुलावा-पत्र के साथ मूल फोटो पहचानपत्र/साक्ष्य दिखाना होगा और फोटो पहचानपत्र/साक्ष्य की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बगैर उन्हें परीक्षा /साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान दें कि बुलावा-पत्र में जो नाम दर्शाया गया है (पंजीकरण के दौरान प्रदत्त), वह फोटो पहचान-पत्र में दिए गए नाम से पूर्णतः मेल खाना चाहिए।

जिन महिला अभ्यर्थियों ने विवाह के उपरांत प्रथम /अंतिम /मध्य नाम में परिवर्तन किया हो, वे इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि बुलावा-पत्र और फोटो पहचान-पत्र/साक्ष्य में अंकित नाम मेल नहीं खाते होंगे, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम बदल लिया हो तो, उन्हें तभी अनुमति दी जाएगी जब वे राजपत्र अधिसूचना/ अपना मूल विवाह प्रमाण-पत्र / मूल शपथपत्र प्रस्तुत करें।

21. कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी:
- परीक्षा के लिए वैध बुलावा-पत्र
  - मूल रूप में फोटो पहचान पत्र/साक्ष्य; और
  - उसी फोटो पहचान पत्र/साक्ष्य की फोटोप्रति

22. **विलंब से अर्थात् परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** बुलावा-पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय परीक्षा शुरू होने से पहले का समय है। यद्यपि परीक्षा की अवधि **तीन घंटे** हैं, किंतु अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर लगभग **5 घंटे** रहना है, जिसमें विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन एवं संग्रह करने, लागू-इन करने, अनुदेश दिए जाने जैसी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए आवश्यक समय भी शामिल है।

23. **दुराचरण /अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई**

अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय कोई गलत, कपटपूर्ण /गढ़ी हुई सूचनाएँ /विवरण प्रस्तुत न करें या कोई महत्वपूर्ण तथ्य न छुपाएँ।

यदि परीक्षा, साक्षात्कार या भर्ती प्रक्रिया के किसी परवर्ती चरण में कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता (पाया गया) है -

- अनुचित साधनों का प्रयोग या
- पररूप धारण या किसी व्यक्ति द्वारा छद्मरूप धारण या
- परीक्षा कक्ष में / साक्षात्कार के दौरान दुर्व्यवहार या परीक्षा (परीक्षाओं) की किसी विषयवस्तु या उसमें दी गई किसी सूचनाओं का पूर्णतः या अंशतः किसी रूप में या किसी साधन से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप में किसी प्रयोजन से प्रकट करना, प्रकाशित करना, प्रतिलिपि बनाना,

संप्रेषित करना, भंडारण करना अथवा

- (घ) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना या  
 (ङ) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में अनुचित साधनों के माध्यम से समर्थन लेना, या  
 (च) परीक्षा /साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या संचार के ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने वाले ऐसे अभ्यर्थी आपराधिक अभियोजन के पात्र होने के साथ-साथ, निम्नलिखित के भी पात्र होंगे -

- (i) उस परीक्षा के लिए अपात्र, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है;  
 (ii) सिडबी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने से स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए बहिष्कृत/वर्जित किया जाना ;  
 (iii) यदि उसने सिडबी की सेवा में कार्यग्रहण कर लिया है, तो सेवा की समाप्ति के लिए ।

#### महत्त्वपूर्ण:

सिडबी सही और गलत उत्तरों की समानता का पैटर्न जानने के लिए अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं का अन्य अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं के साथ विश्लेषण करेगा। इस संबंध में, यदि बैंक की अपनाई गई विश्लेषण प्रक्रिया में यह अनुमान /निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरों को साझा किया गया है और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो सिडबी को संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार है तथा ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) का परिणाम रोक लिया जाएगा।

24. केंद्र, स्थल का पता, आवेदित पद, परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना संबंधित बुलावा-पत्र में दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया हो, वह सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) में अपना विवरण, अर्थात् पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड/जन्मतिथि प्रविष्ट कर अपना बुलावा-पत्र डाउनलोड कर सकता /सकती है। बुलावा-पत्र या विवरण पुस्तिका की हार्ड प्रति डाक /कुरियर से नहीं भेजी जाएगी। सूचना ऑनलाइन आवेदनपत्र में पंजीकृत ई-मेल पते तथा मोबाइल संख्या पर ई-मेल और /एसएमएस से भेजी जाएगी। मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन, तकनीकी त्रुटि या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्यथा कारण से ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से भेजी गई किसी सूचना के देर से प्राप्त होने अथावा प्राप्त न होने के लिए सिडबी उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान विवरण, अद्यतन सूचनाओं या अन्य किसी ऐसी सूचना के लिए नियमित रूप से सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) देखते रहें, जो अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट पर जारी की जाएगी तथा समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल खाते का अवलोकन करते रहें।
25. परीक्षा के आयोजन में कुछ ऐसी समस्याएँ आने की संभावना को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है, जिनसे परीक्षा संपन्न किए जाने और /या परीक्षा परिणाम उत्पन्न होने पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, समस्या के समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी को अन्य केंद्र पर स्थानांतरित किया जाना या देर से परीक्षा में शामिल होना है। पुनर्परीक्षा आयोजित किया जाना पूर्णतः परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का विवेकाधिकार है। अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा का कोई दावा नहीं कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी स्थानांतरित होने या देर से आयोजित होने वाली परीक्षा में भागीदारी के लिए इच्छुक नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।
26. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाएगी, तो सभी सत्रों में प्रयुक्त विभिन्न परीक्षा बैटरियों के कठिनाई स्तर के मामूली अंतरों के समायोजन के लिए विभिन्न सत्रों के प्राप्तांकों को समीकृत किया (समस्तरीय बनाया) जाएगा। एक से अधिक सत्र उस स्थिति में अपेक्षित होते हैं, जब नोड क्षमता कम हो या किसी केंद्र पर या किसी अभ्यर्थी के लिए कुछ तकनीकी बाधाएँ आ जाती हैं।
27. यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी केंद्र विशेष का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो सिडबी को उन अभ्यर्थियों को कोई अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार होगा या यदि अभ्यर्थियों

की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो सिडबी को अभ्यर्थियों के लिए कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार होगा।

28. इस विज्ञापन और /या इसके प्रत्युत्तर में दिए गए आवेदनपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न किसी दावे या विवाद से संबंधित मामलों में कोई भी विधिक कार्यवाही केवल लखनऊ में की जा सकती है और लखनऊ स्थित न्यायालय /न्यायाधिकरण /मंच ही किसी खंड-विशेष /विवाद पर न्यायिक विचार करने के लिए एकमात्र एवं अनन्य अधिकार रखते हैं।
29. अभ्यर्थी प्रणाली (सिस्टम) से उत्पन्न आवेदनपत्र का प्रिंट-आउट /पंजीकरण संख्या /पासवर्ड भावी उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। पंजीकरण संख्या या पासवर्ड पुनः भेजे जाने संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
30. किसी प्रकार का अनुयाचन (सिफारिश) अयोग्यता होगी
31. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में यदि किसी अभ्यर्थी को गलत सूचना और/या प्रक्रिया के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में चयन प्रक्रिया में उस अभ्यर्थी को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। उस अभ्यर्थी को भविष्य में सिडबी की किसी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार के प्रकरण का पता नहीं चलता है किन्तु वह बाद में पता चलता है तो अयोग्यता पूर्ववर्ती प्रभाव से होगी।
32. बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में कोई आवेदनपत्र /उम्मीदवारी निरस्त कर दे और बैंक का निर्णय अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा।

\*\*\*\*\*

**नोट- अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन की तुलना में हिंदी भाषा में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन में कोई विसंगति पाए जाने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन ही केवल मान्य होगा।**

## अनुलग्नक - I

## परीक्षा केंद्र - ऑनलाइन परीक्षा (संभावित सूची)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, कुरनूल, राजमुंदड़ी, गुंटूर	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	महाराष्ट्र	औरंगाबाद (एमएच), अमरावती, कोल्हापुर, नांदेड़, मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे, नागपुर, नासिक, पुणे
असम	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़	मणिपुर	इंफाल
बिहार	दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर,	मेघालय	शिलांग
चंडीगढ़	चंडीगढ़ -मोहाली	मिजोरम	आइजॉल
छत्तीसगढ़	रायपुर, भिलाई, बिलासपुर (छ.ग.)	नगालैंड	कोहिमा
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	सूरत	उड़ीसा	भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, ढेंकनाल
		पुदुचेरी	पुदुचेरी
दिल्ली	दिल्ली एनसीआर	पंजाब	अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, पटियाला
गोवा	पणजी	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर
गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा	सिक्किम	गंगटोक
हरियाणा	फरीदाबाद, गुरुग्राम	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, सेलम
हिमाचल प्रदेश	शिमला, हमीरपुर	तेलंगाना	हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	त्रिपुरा	अगरतला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर
झारखंड	धनबाद, रांची, जमशेदपुर	उत्तराखंड	देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की
कर्नाटक	बेंगलुरु, बेलगावी, मैसूर, हुबली, गुलबर्ग	उत्तर प्रदेश	आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, नोएडा
केरल	तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझीकोड	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, आसनसोल,
लद्दाख	लेह		